

## राजभाषा नियमों/अधिनियमों की जानकारी एवं यूनिकोड का उपयोग विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

दिनांक 14 दिसंबर, 2018 को हिन्दी अनुभाग, वन अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से विस्तार प्रभाग के सम्मेलन कक्ष में संस्थान के विभिन्न प्रभागों के तकनीकी अधिकारी/वैज्ञानिक-बी स्तर के अधिकारियों के लिए राजभाषा नियमों/अधिनियमों की जानकारी एवं यूनिकोड के उपयोग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. सविता, भा.व.से., निदेशक वन अनुसंधान संस्थान एवं डॉ. एम. आर. सकलानी, पूर्व राजभाषा निदेशक व सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देहरादून के स्वागत द्वारा किया गया। दोनों अतिथियों का स्वागत संस्थान की कुलसचिव महोदया नीलिमा शाह ने पुष्पगुच्छ से किया। निदेशक महोदया ने अपने संबोधन में संस्थान के कार्यों को राजभाषा हिन्दी में बेहतर ढंग से कार्यान्वयित करने के लिए सभी प्रभागों/अनुभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी में कार्य करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए तथा अपने कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात कार्यशाला में आमंत्रित मुख्य वक्ता डॉ. एम. आर. सकलानी जी ने सभी प्रतिभागियों को विस्तार से राजभाषा नियमों/अधिनियमों की जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने राजभाषा हिन्दी से संबन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों एवं अधिनियमों को अत्यंत सरल ढंग से सबके समक्ष रखा तथा सभी को हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला के दूसरे सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, वन अनुसंधान संस्थान के श्री रजनीश गुप्ता द्वारा सभी प्रतिभागियों को यूनिकोड के उपयोग पर जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने प्रतिभागियों को कंप्यूटर पर यूनिकोड की सहायता से हिन्दी में टाइपिंग करना सिखाया तथा उसके पश्चात अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम का संचालन श्री रामबीर सिंह, वैज्ञानिक-डी एवं प्रभारी अधिकारी (हिन्दी) ने किया तथा श्री शंकर शर्मा, हिन्दी अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन पाठ किया।







